राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 2 अंक 331

मूल्य ₹5 .00, नई दिल्ली, गुरुवार, 9 मई 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

ट्रंप ने एक दशक में उठाया था 8155 करोड़ रुपये का घाटा >> 13

महासमर 2019

- दिल्ली में किस करवट बैठेगा ऊंट, छूट रहा नेताओं को पसीना ● पेज 4
- दिल्ली में बैठे महिषासुर को हरा सकती हैं बंगाल की दुर्गा : चंद्रबाबू ● पेज 5
- दिग्विजय के समर्थन में साधु-संतों का रोड शो, लगे 'हर-हर मोदी' के नारे ● पेज 6
- कांग्रेस व भाजपा के थ्री जी में गांव, गऊ व गंगा को चुनेगा देश : शाह ● पेज 6

विश्वास. News

वायरल तस्वीर कांग्रेस की नहीं, तृणमूल रैली की है ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल ● पेज 6

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

असम एनआरसी की मियाद 31 जुलाई ही रहेगी : कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असम में राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण (एनआरसी) को अंतिम रूप देने की 31 जुलाई की समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। कोर्ट ने एनआरसी के संयोजक प्रतीक हजेला को मसौदे में नागरिकों के नाम शामिल करने या उनके दावों और आपत्तियों का निपटारा करने को कहा है। हजेला ने कहा था कि आपत्ति करने वाले कई लोग समिति के सामने नहीं आ रहे हैं।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

छत्तीसगढ़ में महिला कमांडो दस्ते ने मार गिराए दो नक्सली

दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की महिला कमांडो दस्ते ने बुधवार सुबह दंतेवाड़ा व सुकमा जिले की सीमा पर गोंडेरास के जंगल में दो नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में एक महिला व एक पुरुष हैं। महिला नक्सली का शव बरामद हो गया है, जबकि पुरुष का शव साथी नक्सली ले जाने में सफल रहे। मौके से एक इंसास रायफल, एक बंदूक बरामद की गई है। खास बात यह है कि महिला कमांडो की टीम में शहीद जवानों की पत्नियां और आत्मसमर्पित महिला नक्सली शामिल हैं।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 11

कर्जमाफी के कार्यक्रमों से राज्यों की अर्थव्यवस्था बेहाल

नई दिल्ली : कृषि कर्जमाफी जैसे कार्यक्रमों से खजाने पर बढ़ते बोझ के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने राज्यों में राजकोषीय संतुलन डगमगाने की बात कही है। आरबीआइ ने बुधवार को 15वें वित्त आयोग के साथ बैठक में कहा, उदय, कृषि कर्जमाफी और इनकम सपोर्ट जैसी योजनाएं राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को तगड़ी चोट पहुंचा रही हैं। यह भी कहा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में राज्यों पर बकाया कर्ज भी बढ़ रहा है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

पाक में सूफी दरगाह के बाद आत्मघाती हमला, 10 की मौत

लाहौर : पाकिस्तान में आतंकियों ने रमजान के पवित्र महीने में पंजाब प्रांत में स्थित मशहूर सूफी दरगाह दाता दरबार को अपना निशाना बनाया। 15 साल के आत्मघाती हमलावर ने बुधवार सुबह आठ बजकर 45 मिनट पर दरगाह के बाहर खुद को विस्फोट से उड़ा दिया। इस हमले में पांच पुलिस कमांडो समेत दस लोगों की मौत हो गई और करीब 25 लोग घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती कराए गए घायलों में चार की हालत नाजुक है। आतंकी संगठन जमात-उल अहरार ने हमले की जिम्मेदारी ली है।

बालाकोट एयर स्ट्राइक में मारे गए थे जैश के 170 आतंकवादी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बावजूद बालाकोट का सच छन-छनकर सामने आ रहा है। बालाकोट में एयर स्ट्राइक के तीन दिन बाद ही चश्मदीदों के बयान के आधार पर जैश-ए-मुहम्मद के आतंकियों के बड़ी संख्या में मारे जाने के तथ्य को उजागर करने वाली इतालवी स्वतंत्र पत्रकार फ्रांचेस्का मरीनो ने अब पूरी घटना का विस्तृत ब्योरा पेश किया है। उनके अनुसार एयर स्ट्राइक में करीब 170 आतंकी मारे गए, जबकि 45 घायल आतंकियों का अब भी इलाज चल रहा है।

फ्रांचेस्का दक्षिण एशिया मामलों की विशेषज्ञ हैं। वह पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं और वहां के आतंकी संगठनों पर एक पुस्तक भी लिख चुकी हैं। 'स्ट्रिंगरएशिया' में प्रकाशित उनकी रिपोर्ट के अनुसार, 26 फरवरी की तड़के 3.30 बजे भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के ढाई घंटे बाद घटनास्थल से 20 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी सेना के शिंकियारी कैंप से एक टुकड़ी वहां पहुंची थी। उसके बाद मारे गए आतंकियों के शव ठिकाने लगाने और घायल आतंकियों को शिंकियारी में ही स्थित हरकत-उल-मुजाहिदीन के शिविर में ले जाने का काम शुरू हुआ। वहां पाकिस्तानी सेना के डॉक्टरों ने घायल आतंकियों का इलाज किया। इस दौरान गंभीर रूप से घायल 20 आतंकियों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी 45 आतंकियों का इलाज चल रहा है।

- इतालवी पत्रकार का दावा, 45 घायल आतंकियों का अभी भी चल रहा इलाज
- 20 आतंकियों की मौत हरकत उल मुजाहिदीन के कैंप में उपचार के दौरान हुई

भारतीय वायुसेना ने यहीं किया था हमला। (फाइल फोटो)

चुप रहने के लिए आतंकी परिवारों को दी गई मोटी रकम : सबसे बड़ी बात यह है पूरी तरह ठीक होने और अपाहिज होने वाले आतंकी अभी भी पाकिस्तानी सेना की हिरासत में हैं और उन्हें अपने घरों को नहीं लौटने दिया गया है। हमले में मारे गए आतंकियों के परिवारों को चुप रखने के लिए जैश-ए-मुहम्मद के लोग समूह के रूप में उनके घर गए और रिश्वत के रूप में उन्हें मोटी रकम सौंपी।

दो अफगान समेत 11 ट्रेनर भी मारे गए : हमले में मारे गए आतंकियों में 11 ट्रेनर थे जो आइईडी बनाने व हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते थे। इनमें दो अफगानी भी थे।

इलाका अभी भी सेना के नियंत्रण में : मारिनो के मुताबिक, जैश के शिविर वाला बालाकोट का इलाका अभी भी पाकिस्तानी सेना की मुजाहिद बटालियन के नियंत्रण में है। कैप्टन रैंक का एक अफसर क्षेत्र की निगरानी कर रहा है। शिविर तक जाने वाले कच्चे रास्ते पर पुलिस तक को जाने की इजाजत नहीं है।

जैश ने की थी बदला लेने की बात : एयरस्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भले ही सच को छिपाने के लिए काफी लीपापोती करने की कोशिश की थी, लेकिन हमले के तीन दिन बाद चश्मदीदों के बयानों के आधार पर जैश-ए-मुहम्मद के कई दर्जन आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हो गई थी। इसके अलावा जैश-ए-मुहम्मद सरगना और अंतराष्ट्रीय आतंकी मसूद अजहर के भाई ने भी एक जलसे में बड़ी संख्या में आतंकियों के मारे जाने की बात स्वीकार की थी। यही नहीं, जैश नेतृत्व ने अपने लड़ाकों को सही वक्त पर बदला लेने का आश्वासन भी दिया था।

एनटीआरओ ने भी की थी पुष्टि : तकनीकी सर्विलांस रखने वाली भारतीय खुफिया एजेंसी एनटीआरओ ने भी हमले की रात वहां उपयोग होने वाले मोबाइल फोन के आधार पर कैंप में 250 से 300 आतंकियों के होने की पुष्टि की थी।

राहुल ने अब मांगी बिना शर्त माफी

अवमानना मामला ▶ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा था, 'चौकीदार चोर है'

कांग्रेस अध्यक्ष ने केस बंद करने की लगाई गुहार, कल होगी सुनवाई, पहले भी दो बार जता चुके हैं खेद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

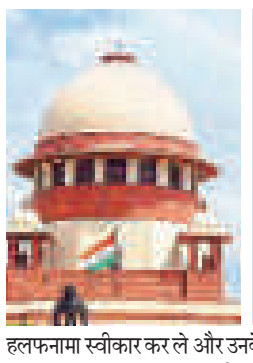

माफी मांगना कांग्रेस का सियासी दिवालियापन : भाजपा

नई दिल्ली : भाजपा ने राहुल गांधी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगने को कांग्रेस का राजनीतिक दिवालियापन करार दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा, कांग्रेस आदतन झूठी है। यह राजनीतिक दिवालियापन है। यह हताशा है।' हम प्रासंगिक मुद्दे उठा रहे हैं और वह हमें गालियां दे रहे हैं। वे हमें जितनी ज्यादा गालियां देंगे, हम उतनी ज्यादा सीटें जीतेंगे।' (पेज-3)

सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 'चौकीदार चोर है' बयान देने पर पहले दो बार खेद जता चुके कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। राहुल ने बुधवार को हलफनामा दाखिल कर माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने यह बात भूलवश कह दी, इसके पीछे उनकी कोई और मंशा नहीं थी। राहुल ने कोर्ट से हलफनामा स्वीकार कर अवमानना का मामला बंद किए जाने की गुहार लगाई है। कोर्ट अब इस मामले में 10 मई को सुनवाई करेगा।

राहुल गांधी ने 10 अप्रैल को राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिए बयान में कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चौकीदार चोर है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कोर्ट का नाम लेकर दिए गए राहुल के इस बयान को आधार बनाते हुए अवमानना याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने इस याचिका पर राहुल गांधी से जवाब मांगा था। इससे पहले भी राहुल ने अपनी गलती मानी थी और खेद जताया था, लेकिन माफी नहीं मांगी थी। 30 अप्रैल को पिछली सुनवाई पर जब कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माफी नहीं मांगे जाने पर नाराजगी जताई तो राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक और हलफनामा दाखिल करने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने सिंघवी को हलफनामा दाखिल करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन साफ किया था कि हलफनामा स्वीकार किए जाने पर कोर्ट अगली सुनवाई पर विचार करेगा।

आदेश के अनुपालन में राहुल गांधी की ओर से बुधवार को नया हलफनामा दाखिल कर बिना शर्त माफी मांगी गई। इसमें राहुल ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं। उनका कभी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसा कोई काम करने का इरादा नहीं रहता जिससे न्याय प्रशासन की प्रक्रिया में कोई दखल हो। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के नाम पर गलत बयानी करने के लिए वह बिना शर्त माफी मांगते हैं। उनसे ऐसा अनजाने में हो गया है, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है। राहुल ने कोर्ट से आग्रह किया है कि वह उनका हलफनामा स्वीकार कर ले और उनके खिलाफ अवमानना का मामला बंद कर दे। उन्होंने कहा है कि इस हलफनामे में उन्होंने कोई भी बात नहीं छिपाई है।

पिछले दो हलफनामों में भी राहुल गांधी ने गलती मानी थी और कोर्ट के नाम पर गलत बयानी के लिए खेद जताते हुए लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण दिया था, लेकिन स्पष्ट तौर पर माफी नहीं मांगी थी। इतना ही नहीं, 'चौकीदार चोर है' को राजनीतिक नारा बताया था और भाजपा पर राफेल मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया था। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि राजनीतिक नारे से कोर्ट को कोई लेना-देना नहीं है, वह उसे अपने पास रखें। कोर्ट का कहना था, उसे नहीं समझ आ रहा कि राहुल इस हलफनामे में क्या कहना चाहते हैं।

मीनाक्षी लेखी की याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ने राफेल मामले में दिए फैसले में कभी नहीं कहा कि चौकीदार चोर है। राहुल गांधी ने कोर्ट के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में 'चौकीदार चोर है' का बयान देकर लोगों को गुमराह किया है। इसके लिए राहुल पर अवमानना का मामला चलाया जाए। कोर्ट ने भी याचिका पर पहले ही दिन सुनवाई में स्पष्ट कर दिया था कि कोर्ट ने कभी भी ऐसी बात नहीं कही है। कोर्ट का आदेश सिर्फ राफेल मामले में कुछ दस्तावेजों को स्वीकार किए जाने के कानूनी मुद्दे पर था। अदालत का नाम लेकर दिए गए बयान पर कोर्ट ने राहुल से स्पष्टीकरण मांगा था।

10 मई को सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के अवमानना मामले के साथ ही राफेल पर दिए गए फैसले के खिलाफ दाखिल यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, प्रशांत भूषण आदि की पुनर्विचार याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा।

कांग्रेस का सामंतवाद (संपादकीय) पेज>>8

मोदी-शाह पर कार्रवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आचार संहिता उल्लंघन मामला

- शीर्ष अदालत ने कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव की याचिका खारिज की
- कहा, चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती देना है तो अलग से याचिका दें

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सांसद अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आचार संहिता उल्लंघन मामले में कार्रवाई की मांग पर विचार करने से मना कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, शिकायत पर चुनाव आयोग निर्णय ले चुका है। अब यह याचिका महत्वहीन हो गई है। आयोग के निर्णय की मेरिट पर इस याचिका में सुनवाई नहीं हो सकती।

गोगोई ने कहा, आयोग ने सही या गलत तरीके से शिकायतों पर आदेश पारित कर दिया है। अगर आपको अब भी परेशानी है तो चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दें। देव की ओर से गत मंगलवार को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर मोदी व शाह के खिलाफ शिकायतों पर निर्णय लेने में चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया गया था। देव ने नए हलफनामे में पूर्व पीएम राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी कहे जाने का मुद्दा भी उठाया था। बुधवार को मामले पर सुनवाई शुरू होते ही चुनाव आयोग के अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा, देव की याचिका में मुख्य मांग थी कि आयोग उनकी शिकायतों पर फैसला नहीं कर रहा। आयोग ने सभी शिकायतों का निपटारा कर दिया, इसलिए उनकी मांग पूरी हो गई है, लेकिन याचिकाकर्ता ने मंगलवार को नया हलफनामा दाखिल कर कई और मुद्दे उठाए हैं। सियासी बयान का जिक्र करते हुए याचिका का दायरा बढ़ा दिया है। हलफनामे में याचिका का दायरा बढ़ाए जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जवाब में देव के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, उन्हें कोर्ट ने अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने की इजाजत दी थी। चुनाव आयोग ने याची की सभी 11 शिकायतें बिना कारण बताए खारिज की हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कारण बताना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा, अगर उन्हें आयोग के आदेशों पर आपत्ति है तो वह अलग से याचिका दाखिल कर उसे चुनौती दें। हलफनामे में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। सिंघवी ने कहा, जब उसी मसले पर याचिका लंबित है तो कोर्ट उसी में यह बात भी सुन ले। कोर्ट ने कहा, कोर्ट में मामले की सुनवाई के कुछ नियम होते हैं और उनका पालन करना होता है। इस याचिका में आयोग के आदेश की मेरिट पर सुनवाई नहीं हो सकती। देव ने मोदी-शाह पर घृणा फैलाने वाले भाषण देने और सेना के नाम का प्रयोग किए जाने का आरोप लगाते हुए इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। देव ने कहा था कि इस बारे में उन्होंने आयोग से 11 शिकायतें की हैं, लेकिन आयोग ने किसी भी पर निर्णय नहीं किया है।

राजीव गांधी ने युद्धपोत आइएनएस विराट को बना लिया था निजी टैक्सी : मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सेना को जागीर की तरह उपयोग करने के राहुल के आरोप का दिया करारा जवाब
- कहा, पूर्वजों के नाम पर वोट मांगने वाले उनके कारनामों का भी दें हिसाब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर हमला किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता अपने जिन पूर्वजों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उनके कारनामों का हिसाब भी उन्हें देना होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने राजीव गांधी पर सेना के विमानवाहक पोत आइएनएस विराट का निजी टैक्सी की तरह उपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, देश की जनता को और खासकर पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को इसकी जानकारी होनी ही चाहिए।

सेना को निजी जागीर समझने के राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए मोदी ने कहा, पीएम रहते हुए राजीव गांधी ने समुद्री सीमा की सुरक्षा के साथ समझौता करते हुए परिवार के साथ 10 दिन छुट्टियां मनाने के लिए आइएनएस विराट का इस्तेमाल किया था। परिवार के साथ-साथ इटली से विदेशी रिश्तेदारों को भी बुलाया गया था। उन्होंने पूछा, क्या युद्धपोत पर विदेश नागरिकों को ले जाना देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं था? मोदी ने कहा, जिस द्वीप पर वो लोग छुट्टियां मनाने गए थे, वह सुनसान था वहां कोई सुविधा नहीं थी, इसीलिए नौसैनिकों को वहां काम पर लगाया गया। नौसेना का एक हेलीकॉप्टर भी उनकी सेवा में लगा रहा।

नई दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली में लोगों को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जागरण

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम घसीटने पर कांग्रेस की आपत्तियों को खारिज करते हुए मोदी ने कहा, कुछ लोग अपने पूर्वजों के नाम पर वोट जरूर मांगते हैं, लेकिन उन्हें उनके पूर्वजों के कारनामे गिनाने पर आपत्ति हो रही है। यदि किसी के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो उसके कारनामों का हिसाब भी आपको देना ही होगा।

अपने खिलाफ गांधी परिवार और खासकर राहुल गांधी के हमले की वजह बताते हुए मोदी ने कहा, कभी जनपथ दलालों-बिचौलियों का पथ बन गया था, जहां क्वात्रोची मामा बोफोर्स तोप की दलाली का भाव फिक्स करता था। अगस्ता हेलीकॉप्टर वाले मिशेल मामा का स्वागत किया जाता था। भोपाल में विनाश करने वाले एंडरसन मामा को भगाने की रणनीति बनती थी। आज उसी जनपथ में अदालतों और जेल के डर से वकीलों का ही आना-जाना रहता है।

नाकामपंथी ने दिल्ली और देश के साथ किया विश्वासघात : मोदी पेज>>2
पीएम ने कहा, कांग्रेस की प्रेम डिक्शनरी में मेरे लिए सिर्फ गालियां पेज>>5

1984 में राजीव व मेनका का हुआ था सीधा मुकाबला

वर्ष 1984 में मेनका गांधी का सीधा मुकाबला अपने जेठ राजीव गांधी से अमेठी लोकसभा सीट पर हुआ था। वर्ष 1980 में पति संजय गांधी का अचानक निधन हो जाने पर गांधी परिवार की छोटी बहू मेनका गहरे सदमे में चली गई थीं। उनके बेटे वरुण गांधी तब 100 दिन के दुधमुंहे बच्चे थे। विपरीत परिस्थितियों में उन्हें गांधी परिवार से अलग होना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अमेठी लोकसभा सीट से संजय विचार मंच की उम्मीदवार के तौर पर अपने जेठ राजीव गांधी के खिलाफ पर्चा भरा था। हालांकि वह चुनाव हार गई थीं। उसी वक्त यह भी तय हो गया था कि कांग्रेस का असली वारिस गांधी परिवार का कौन सा सदस्य है। तब से दोनों परिवार की राहें अलग हैं।

आम्रपाली का मालिकाना हक नोएडा ग्रेटर नोएडा को देगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली ने 42,000 परेशान होम बायर्स के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं किया है। वह आम्रपाली समूह की 15 प्रमुख आवासीय परियोजनाओं का मालिकाना हक नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथारिटी को सौंप देगा। कोर्ट ने समूह की अधूरी पड़ी परियोजनाओं को गिरवी रखकर हजारों करोड़ का कर्ज बैंकों से लेने की बात पर भी सवाल उठाए।

जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित की पीठ ने बुधवार को कहा, आम्रपाली समूह ने अपनी मर्जी से घर के खरीदारों से 11,652 करोड़ रुपये वसूले, इनमें से 10,630 करोड़ ही आवासीय परियोजनाओं के निर्माण में खर्च किए। हम हजारों होम बायर्स के अधिकारों को सुरक्षित करेंगे और आम्रपाली समूह को परियोजनाओं से बाहर खदेड़ देंगे। कोर्ट ने कहा, आम्रपाली समूह ने घर के खरीदारों, अथारिटी (नोएडा और ग्रेटर नोएडा) और बैंकों के प्रति अपने किसी दायित्व का निर्वाह नहीं किया। ना किसी प्रोजेक्ट को पूरा किया और ना ही उसमें धन लगाया। आम्रपाली समूह ही वह है जिसे इन संपत्तियों से अलग कर देना चाहिए। इन संपत्तियों का अधिकार हम नोएडा और ग्रेटर नोएडा (अथारिटी) को दे देंगे। कोर्ट ने कहा, वह नोएडा और ग्रेटर नोएडा को यह कह सकते हैं कि वह किसी और बिल्डर को इस काम में लगाएं और ठप परियोजनाओं को पूरा करें। उसके बाद संपत्तियों को अपनी निगरानी में बेच दें। पीठ ने इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि आखिर किस तरह से आम्रपाली समूह ने सभी आवासीय परियोजनाओं को गिरवी रखकर बैंकों से हजारों करोड़ रुपये के कर्ज ले लिए, जबकि यह कंपनी इस संपत्ति को विकसित करने का एक जरिया भर थी।

- शीर्ष अदालत ने रियल एस्टेट कंपनी को सभी आवासीय परियोजनाओं से बेदखल करने की दी चेतावनी

कोर्ट ने कहा, वह इस कंपनी की संपत्तियों को उसके कब्जे, हिस्सेदारी और संग्रह समेत नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथारिटी को सौंप देंगे। खंडपीठ ने कहा, वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इन संपत्तियों के परिसरों में बैंक कतई प्रवेश न करने पाएं। इन संपत्तियों पर पहला हक घर खरीदारों का होगा। (पेज-2 भी देखें)

तीसरी बार भी नीरव को नहीं मिली जमानत

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटिश कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को जमानत देने से तीसरी बार इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक जालसाजी और मनी लांड्रिंग मामले का मुख्य आरोपित नीरव समर्पण करने में विफल रह सकता है।

हल्के ब्लू शर्ट और पैंट में 48 वर्षीय नीरव वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा अब्बुथनोट के सामने पेश हुआ। नीरव के बचाव में उतरी वकीलों की टीम ने जमानत राशि बढ़ाकर 20 लाख पौंड (18 करोड़ रुपये ज्यादा) कर दी। साथ ही कहा, लंदन के फ्लैट में वह 24 घंटे बंद रहेगा। सुनवाई के दौरान बैरिस्टर क्लेरे मोटगोमेरी ने जज से कहा, 'वैंड्सवर्थ (जेल) की हालत रहने लायक नहीं है। आप जो शर्त तय करेंगे मोदी उसका पालन करेंगे।' जज ने कहा, 'यह एक बड़ा घोटाला है और अमानत राशि बढ़ाकर 20 लाख पौंड करना पर्याप्त नहीं है। जमानत देने पर वह समर्पण करने में विफल रह सकता है।' इससे पहले क्राउन प्रोसेक्यूशन सर्विस ने भारतीय अधिकारियों का पक्ष रखते हुए कहा, नीरव को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि बचाव की ओर से पेश सुबूत परिस्थितियों में बदलाव नहीं ला सकते।

दोहराएगा इतिहास

राजनीति में बदलाव का ही असर है कि गांधी खानदान के लोग फिर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं, सन 1984 के बाद से दोनों परिवार प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सामने आने से बचते रहे हैं

35 साल बाद फिर आमने-सामने होगा गांधी परिवार

धर्मेन्द्र मिश्रा, सुलतानपुर

- सुलतानपुर से भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी के खिलाफ रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा
- अमित शाह के साथ रैली कर मेनका उठाएंगी राहुल-प्रियंका के नेतृत्व पर सवाल

उत्तर प्रदेश में गुरुवार को उस समय इतिहास खुद को दोहराएगा जब गांधी परिवार के दो सदस्य (प्रियंका गांधी वाड्रा और मेनका गांधी) 35 वर्ष बाद एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार में आमने-सामने होंगे। सुलतानपुर में प्रियंका कांग्रेस प्रत्याशी संजय सिंह के लिए अपनी चाची मेनका गांधी के खिलाफ रोड शो करेंगी, वहीं भाजपा प्रत्याशी मेनका खुर्शीद क्लब मैदान में अमित शाह के साथ राहुल और प्रियंका के नेतृत्व के खिलाफ हुंकार भरेंगी। ध्यान रहे दोनों परिवार 1984 के बाद से एक दूसरे के खिलाफ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सामने आने में संकोच करते रहे हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में सियासत काफी बदली नजर आ रही है।

सुलतानपुर से लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद जहां मेनका गांधी ने मीडिया की मौजूदगी में सार्वजनिक तौर पर यह जता दिया था कि पड़ोसी सीट अमेठी पर उन्हें राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव प्रचार में जाने से परहेज नहीं होगा, वहीं उनके बेटे वरुण गांधी भी विभिन्न बयानों में यह कह चुके हैं कि सोनिया गांधी के परिवार से उनके सिर्फ औपचारिक रिश्ते ही रह गए हैं। शायद यही वजह है कि इस बार राहुल गांधी भी अपनी चाची मेनका गांधी की परवाह न करते हुए 22 अप्रैल को अमहट और चार मई को जिले की सीमा से लगे धम्मौर में संजय सिंह के पक्ष में कार्यकर्ता सम्मेलन कर चुके हैं। उसी दिन प्रियंका ने भी बल्दीराय क्षेत्र में अमेठी लोकसभा के लिए नुक्कड़ सभा की थी। अब वह सीधे जिला मुख्यालय पर मेनका गांधी के खिलाफ रोड शो करने आ रही हैं।

प्रियंका गांधी वाड्रा

मेनका गांधी

भारत को एक करोड़ टन तेल सप्लाई बढ़ाएगी अरैमको

नई दिल्ली, आइएएनएस : दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी अरैमको भारतीय रिफाइनरियों को कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की आपूर्ति बढ़ाएगी। यह इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका ने भारत समेत सभी तेल आयातक देशों को ईरान से तेल खरीदने पर मिली छूट खत्म कर दी है। इससे पेट्रोलियम रिफाइनरियों को कच्चे तेल की आपूर्ति घट जाएगी और उनका परिचालन प्रभावित होगा।

सरकारी तेल कंपनियों से जुड़े सूत्रों ने कहा कि सऊदी अरब की कंपनी अरैमको ने भारत को की जा रही आपूर्ति में रोजाना दो लाख बैरल की वृद्धि की पेशकश की है। यह ईरान से हो रहे तेल आयात का करीब आधा है। सालाना आधार पर यह अतिरिक्त आपूर्ति करीब एक करोड़ टन की होगी। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने ईरान से 2.39 करोड़ टन क्रूड ऑयल का आयात किया था। ईरान देश का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था। पहले दो स्थान पर इराक व सऊदी अरब थे। भारतीय तेल कंपनियों के लिए अरैमको के ऑफर के तहत आपूर्ति जून से शुरू होगी। तेल पर अंतरराष्ट्रीय स्थिति जून तक और स्पष्ट हो जाएगी, जब अमेरिकी पाबंदी पूरे प्रभाव से लागू होंगे। अमेरिकी पाबंदी से मिली छूट दो मई को खत्म हो गई है, लेकिन भारत अब भी ईरान से कुछ तेल हासिल कर रहा है, क्योंकि इसके ठेके पूर्व में दिए जा चुके थे।

- सऊदी कंपनी सालाना आधार पर करेगी अतिरिक्त आपूर्ति, जो ईरान से हो रही आपूर्ति का करीब आधा है
- भारतीय कंपनियों को अरैमको के ऑफर के तहत आपूर्ति जून से शुरू होगी

सूत्रों के मुताबिक घरेलू तेल कंपनियों ने अतिरिक्त आपूर्ति के अरैमको के प्रस्ताव का स्वागत किया है, क्योंकि ईरान और वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंध लगने से पैदा हुई किल्लत इससे कुछ हद तक दूर हो जाएगी। हालांकि अरैमको से तेल की आपूर्ति उन शर्तों पर होने की उम्मीद नहीं है, जिन शर्तों पर यह आपूर्ति ईरान से हो रही थी। यही नहीं, रिफाइनरियों को अरब लाइट क्रूड महंगा भी पड़ेगा। ईरान से रिफाइनरियों को डिलीवरी के लिए 60 दिनों का क्रेडिट मिलता था और ढुलाई व बीमा पर छूट भी मिलती थी। दूसरी ओर भारत को कच्चा तेल निर्यात करने के लिए सऊदी अरब एशियन प्रीमियम यानी अधिक कीमत वसूलता है। भारत अपरी जरूरत के 80 फीसद से अधिक क्रूड के लिए आयात पर निर्भर है।

चीन का आयात बढ़ने से महंगा हुआ तेल

सिंगापुर : ईरान व वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंध, उत्पादकों द्वारा आपूर्ति में कटौती और चीन का आयात अप्रैल में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से क्रूड की कीमत में बुधवार को तेजी दर्ज की गई। अमेरिका का वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर 56 सेंट चढ़कर 61.96 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर भी 70.31 डॉलर प्रति बैरल का हो गया।